राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1280/2024

राजीव सक्सेना (कर्मचारी आई.डी.:–आरजेकेओ199727021743)

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अति. आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय) ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बूंदी।
4. खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति, तालेडा, जिला बूंदी।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 28.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री हरिप्रसाद शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अतिरिक्त खण्ड विकास अधिकारी के पद पर तालेडा, जिला बूंदी में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा वर्तमान पदस्थापित स्थान से जिला परिषद, टोंक में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति दिनांक 10.02.2023 को हुई थी। इसके पश्चात अपीलार्थी का पदोन्नति उपरान्त पदस्थापन तालेडा में आदेश दिनांक 09.10.2023 के द्वारा किया गया। जिसके पश्चात अपीलार्थी ने दिनांक 09.10.2023 को अपनी उपस्थिति पंचायत समिति, तालेडा में अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर दी। वर्तमान आलोच्य आदेश अल्प अवधि में ही पारित कर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो उचित नहीं है।
3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति से पूर्व भी पंचायत समिति, तालेडा में सहायक विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत था। अपीलार्थी दिनांक 06.08.2021 से पंचायत समिति

तालेडा में कार्यरत था। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण अल्पावधि में किया गया हो। नियोक्ता को अधिकार है कि वह अपने विवेक से यह निर्णय ले सकता है कि प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेनी है। नियोक्ता द्वारा लिए गए निर्णय में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता, जब वह निर्णय नियम विरूद्ध हो अथवा कोई दुर्भावना से प्रेरित हो। हम आलोच्य आदेश में कोई नियम विरूद्धता या दुर्भावना होना नहीं पाते है। ऐसे में प्रशासनिक आदेश में अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है, जिसके आधार पर आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके।

5. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)